

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार 12 फरवरी , 2004 / माघ 23, 1925 (शक)

संख्या: 17

सदस्य की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिमी) से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री अशोक आहुजा को दिनांक 11. 02. 2004 को पूर्वाह्न 10.09 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण थाना सरोजनी नगर नई दिल्ली से नजर बद किया गया ।

उन्हे उसी दिन अर्थात् दिनांक 11. 02. 2004 को अपराह्न 7.12 बजे, थाना सरोजनी नगर नई दिल्ली से ही रिहा कर दिया गया।"

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Thursday, 12th February, 2004 / Magha 23, 1925 (Saka)

No. 17

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from the Deputy Commissioner of Police (South west), Delhi:

"I have the honour to inform you that Shri Ashok Ahuja, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained from Police Station, Sarojni Nagar, New Delhi for disobeying the lawful direction of police at 10.09 A.M. on 11/2/2004.

He was released at 7.12 P.M. from Police Station, Sarojni Nagar, New Delhi on the same day i.e. 11/2/2004."

SIDDHARATH RAO
SECRETARY